

**संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर,
द्वितीय तल, सेक्टर-27, अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
परिशिष्ट-तीन (नवीनीकरण प्रपत्र)
(नियम 7-ख)**

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त व्यक्तियों की वित्तीय सहायता अवधि के नवीनीकरण/आय के सत्यापन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, सेक्टर-27, अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग. को प्रतिवर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

शपथ-पत्र

मैं (नाम).....आत्मज

आयु..... निवासी.....

एतद् द्वारा शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ कि :-

- मुझे छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग (भाषा संचालनालय) की योजना के अंतर्गतमासिक वित्तीय सहायता स्वीकृत है।
- वित्तीय सहायता के अलावा वर्तमान में मुझे निम्नलिखित स्रोतों से कुल रु..... मासिक आमदनी होती है।

स्त्रोत (1)	आमदनी (2)
(1) चल/अचल संपत्ति से	
(2) पेंशन से	
(3) सम्मान निधि से	
(4) अन्य	

- मुझ पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आमदनी तथा उसके स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. खाताधारक का नाम, मोबाइल नं., बैंक खाता सं., आई.एफ.एस.सी.कोर्ड, बैंक शाखा का नाम/पता, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी छायाप्रति स्वयं सत्यापित कर विभाग में उपलब्ध करावें।

- राशन कार्ड नं. (छायाप्रति) :.....
- जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र) :.....
- बैंक का खाता (केवल भारतीय स्टेट बैंक) संख्या.....
- शाखा का नामआईएफएससी नं.....
- पेन कार्ड आधार नं.....
- मोबाइल नं. (स्वयं एवं परिवार के अन्य दो सदस्यों का).....
.....
.....

5. मुझे योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत सहायता की पात्रता है।

6. यदि कोई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो उसके आधार पर मुझे दी गई वित्तीय सहायता राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली योग्य होगी।

.....
(शपथगृहीता)

सत्यापन

मैं

निवासी उपरोक्त शपथगृहीता एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र के पैरा 1 से 6 में दी गई जानकारी मेरे निजि ज्ञान से पूर्ण एवं सत्य है।

उपर्युक्त शपथ-पत्र दिनांक को
(स्थान) में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

.....
(शपथगृहीता)

नोट : 1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 162/एफ 2013-25-00007/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2013 के अनुसार उक्त राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाना है।